

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : ~~28.03.2020~~

आदेश

29.3.2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएँ, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फ़ैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतः बन्द रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त प्रतिबन्ध से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सप्लाय की गई औषधियों/सर्जिकल एवं सूचर्स की गुणवत्ता जांच हेतु निम्न दवा टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को मुक्त रखा जाता है:-

1. Oasis Test House Ltd, Sp-2, 22 Godam Industrial Estate, Jaipur-302006 (Raj)
2. CEG Test House And Research Centre Pvt Ltd, CEG Tower, B-11, (G), Malviya Industrial Area, Jaipur -302017
3. Jagdamba Laboratories, 119, Solitaire Industrial Park, Phase 1st, Dehmi Kallan, Bagru, Jaipur-303007
4. Devansh Testing and Research Laboratories Pvt Ltd., 94 Shiv Ganj Industrial Estate [Lakeshari Bhagwanpur, Roorkee (U.K.)-247661



(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर
8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
11. निजी /रक्षित पत्रावली



(संजय कुमार) 29.3.2020

शासन उप सचिव